

### सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 17 बिन्दु

1-	अपने संगठन, कार्यों तथा कर्तव्यों के विवरण।
उ0	श्रम विभाग- श्रम प्रवर्तन अधिकारी।
2-	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्य।
उ0	श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण कर प्रवर्तन कार्य करना।
3-	निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, इसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण और जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित हैं।
उ0	मुख्य रूप से श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण का कार्य किया जाता है और उनका कार्यालय स्तर पर पत्रावलियों के रूप में रख रखाव किया जाता है। किये गये निरीक्षणों में उलंघन पाये जाने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अभियोजन/उपगमन/निर्देश बाद की कार्यवाही अपनाई जाती है। इन कार्यों का सुपर वीजन सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त महोदय द्वारा समय-समय पर किया जाता है।
4-	अपने कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाया जाने वाला मानदण्ड।
उ0	श्रम विभाग उ0प्र0, षासन द्वारा बनाई गई नियमावली के अनुसार कार्य किया जाता है।
5-	अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त अपने नियंत्रणाधीन नियमों, विनियमों, निर्देशों निर्देशिकाओं तथा अभिलेखों।
उ0	श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किये गये निर्देश/नियम एवं उ0प्र0 श्रम विभाग की नियमावली एवं श्रम अधिनियमों के अनुसार काम किया जाता है और उसके प्राविधानित विभिन्न प्रकार के रजिस्टर कार्यालय स्तर पर रखे किये जाते हैं जिसमें प्रमुख रूप से उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत पंजीयन रजिस्टर बाल श्रमिक नियोजन के अन्तर्गत बाल श्रमिकों क चिन्हांकन का रजिस्टर रखा जाता है।
6-	अपने द्वारा धारित या अपने अधीन अभिलेखों की कोटियों का विज्ञापन।

उ०	इस कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टर पारदर्शी रजिस्टर हैं जिसमें कोई काटेगरी नहीं हैं एवं विशेष रूप से न्यायालय विहित प्राधिकारी कैम्प सीतापुर के न्यायालय से सम्बन्धित पत्रावलियां हैं जिन्हें नियमानुसार न्यायालय के आदेशानुसार देखा जा सकता है।
7-	कोई प्रबन्ध जो कि परामर्श के लिए अस्तित्व में है, या जिसके द्वारा प्रतयावेदन किया जाता है, वे लोग जो कि इसके नीति निर्धारण या प्रवर्तन में भाग लेंगे, का विवरण
उ०	बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति, बन्धुआ श्रम सर्तकता समिति, तहसील स्तरीय तथा जिला स्तरीय एवं श्रम बन्धु का जनपद स्तरपर गठन है, इसमें जनता के भी सदस्य सम्मिलित हैं। श्रम विभाग से संबंधित समस्याओं के सम्बन्ध में निराकरण के लिए इन समितियों के माध्यम से उनका सहयोग लिया जाता है।
8-	बोर्डों, परिशदों, समितियों और अन्य निकाय जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों से इसके भागरूप में गठित है या इसके सलाह के लिए, का विवरण, और उन बोर्डों, परिशदों, समितियों और अन्य निकाय जो लोगों के लिए खोले गये हैं, या बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट जो लोगों की पहुंच के अधीन होंगे का विवरण।
उ०	कार्यालय में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।
9-	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका।
उ०	<b><u>अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम व पद-</u></b> 1. श्री देवी दयाल- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीतापुर, प्रभारी कार्यालय। 2. श्री आर०बी० लाल- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीतापुर। 3. श्री रतन कुमार गुप्ता- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बिसवां- स्थान- सीतापुर। 4. श्री सत्येन्द्र पाल- श्रम प्रवर्तन अधिकारी सिधौली, स्थान- सीतापुर। 5. श्री पी०के० दीक्षित- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, हरगांव, स्थान- सीतापुर। 6. श्री विवेक कुमार द्विवेदी- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, महमूदाबाद, स्थान- सीतापुर। 7. श्री यमुना प्रसाद- वरि० सहायक, कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीतापुर। 8. श्री विश्राम लाल- वरि० सहायक, कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीतापुर। 9. श्री छेदी लाल- वरि० सहायक, कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीतापुर। 10. श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव- सिलाई शिक्षिका सम्बद्ध कार्यालय श्रम प्रवर्तन

	अधिकारी, सीतापुर	
	11. श्री बांकेलाल- चपरासी / चौकीदार, कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी सीतापुर।	
	12. श्री दुखी सिंह- चपरासी / चौकीदार, कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी सीतापुर।	
	13. श्री षमषेर- स्वच्छकार, कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी सीतापुर।	
	14. श्री आर0सी0 यादव, सहायक श्रमायुक्त प्रभारी कैम्प, सीतापुर।	
10-	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोशक, इसके अन्तर्गत प्रतिकर का ढंग जो कि विनियमों द्वारा उपबंधित है, भी सम्मिलित है।	
उ0	1. श्री देवी दयाल, श्रम प्रवर्तन अधिकारी।	7242.00 मासिक
	2. श्री आर0बी0 लाल, श्रम प्रवर्तन अधिकारी।	10521.00 मासिक
	3. श्री रतन कुमार गुप्ता, श्रम प्रवर्तन अधिकारी।	9472.00 मासिक
	4. श्री सत्येन्द्र पाल, श्रम प्रवर्तन अधिकारी।	9972.00 मासिक
	5. श्री पी0के0 दीक्षित, श्रम प्रवर्तन अधिकारी।	8363.00 मासिक
	6. श्री विवेक कुमार द्विवेदी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी।	9840.00 मासिक
	7. श्री यमुना प्रसाद, वरि0 सहायक।	10682.00 मासिक
	8. श्री विश्राम लाल, वरि0 सहायक।	10247.00 मासिक
	9. श्री छेदी लाल, वरि0 सहायक।	7395.00 मासिक
	10. श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव, सिलाई शिक्षिका।	7671.00 मासिक
	11. श्री बांकेलाल, चपरासी / चौकीदार।	7174.00 मासिक
	12. श्री दुखी सिंह, चपरासी / चौकीदार।	6845.00 मासिक
	13. श्री षमषेर, स्वच्छकार	7176.00 मासिक
11	अपने प्रत्येक अभिकरणों का बजट जो उनसे सम्बन्धित है, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किये गये भुगतानों का विवरण।	
उ0	इस कार्यालय को कोई बजट आवंटित नहीं होता है। कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन व सभी अन्य बिल/बाउचरों का भुगतान उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र लखनऊ के कार्यालय से किया जाता है।  राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जनपद सीतापुर के अन्तर्गत 30 विशेष बाल श्रम विद्यालय जनपद के विभिन्न चयनित स्थानों पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा	

	संचालित हैं। इस परियोजना के लिए भारत सरकार से बजट प्राप्त होता है। इस परियोजना के चेयरमैन जिलाधिकारी, सीतापुर हैं, तथा परियोजना निदेशक, सहायक श्रमायुक्त, कैम्प सीतापुर जिलाधिकारी द्वारा नामित हैं। लेखा वर्ष 2005-06 में 45,89,000.00 एवं वर्ष 2006-07 में 40,85,500.00 बजट प्राप्त हुआ है। वर्ष 2005-06 में 2,76,764.00 विद्यालयों एवं परियोजना कार्यालय द्वारा व्यय किया गया। वर्ष 2006-2007 में 13,28,988.00 व्यय किया जा चुका है। अवपेश धनराशि समिति के खाते में जमा है। वर्ष 2007-08 में न तो कोई धनराशि प्राप्त हुई है और न अभी व्यय हुई है।
12-	उपदान कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग, जिसके अन्तर्गत धन का विवरण तथा हिताधिकारियों का विवरण जो ऐसे कार्यक्रम से सम्बद्ध होंगे, का विवरण।
उ0	यह बिन्दु इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।
13-	अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार-पत्रों अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण
उ0	यह बिन्दु इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।
14-	अपने द्वारा प्रदान की गई सूचना या प्रदान न की गई सूचना, इलेक्ट्रानिक प्रारूप में निबद्ध की गई सूचना का विवरण।
उ0	इस कार्यालय में कोई भी सूचना इलेक्ट्रानिक्स कार्य में नहीं है क्योंकि कार्यालय में कोई भी कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध नहीं है।
15-	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं, इसके अन्तर्गत पुस्कालय के कार्य की अवधि या अध्ययन-कक्ष, अगर लोगों के प्रयोग के लिए है, का विवरण।
उ0	कार्यालय में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।
16-	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पद तथा अन्य विवरण।
उ0	पूर्व से जनसूचना अधिकारी नियुक्त नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, जो निम्नवत् है- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री सहायक सूचना अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीतापुर</li> <li>2. सहायक जन सूचना अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीतापुर/लहरपुर।</li> <li>3. सहायक जन सूचना अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बिसवां, सीतापुर।</li> </ol>

	<p>4. सहायक जन सूचना अधिकारी, महमूदाबाद, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, महमूदाबाद ।</p> <p>5. सहायक जन सूचना अधिकारी, सिधौली, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सिधौली ।</p> <p>6. सहायक जन सूचना अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, हरगांव, सीतापुर ।</p> <p>1- जन सूचना अधिकारी सहायक श्रमायुक्त लखनऊ कैम्प, सीतापुर ।</p> <p>1- प्रथम अपीलीय अधिकारी उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ ।</p>
17-	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये, और तदनुसार इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अपडेट करेगा ।
उ0	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीतापुर द्वारा प्रत्येक वर्ष इस सूचना को अपडेट किया जायेगा ।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी

सीतापुर